9414400063

07.07.2023 पत्रावली पेश हुई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी सं.

1. श्री महेश गोपालका पुत्र स्व.श्री रामस्वरूप गोपालका (विक्रेता मालिक), निवासी बस स्टेण्ड वार्ड नं. 17. श्रीमाधोपुर सीकर।
2. श्री पवन कुमार अग्रवाल पुत्र श्री मक्खन लाल अग्रवाल (थोक विक्रेता), निवासी अग्रसेन कॉलोनी, पुष्प नगर, वार्ड नं. 24, श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
3. श्री महिपाल सिंह पुत्र श्री चैन सिंह (नोमिनी निर्माता फर्म), निवासी वार्ड नं. 11, त्रिलोकपुरा जिला सीकर। मैसर्स सीकर एण्ड झुंझुनु जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड एन एच 52, जयपुर सीकर रोड़, पलसाना जिला सीकर।
4. मैसर्स सीकर एण्ड झुंझुनु जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड एन एच 52, जयपुर सीकर रोड़, पलसाना जिला सीकर (निर्माता फर्म), उपस्थित होकर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा दिनांक 06.01.2023 को समय 02:00 पी. एम. पर रींगस बाजार, श्रीमाधोपुर गस्त दौरान मैसर्स – रामस्वरूप महेशकुमार, रींगस बाजार, पर निरीक्षण के लिए पंहुचा। निरक्षण के दौरान श्री महेश गोपालका पुत्र स्व.श्री रामस्वरूप(विक्रेता मालिक) आम जनता को घी(सरस) पैक्ड 500 मिली. मोनो कार्टन बेच रहे थे। वहां पर विक्रेता को मैने अपना परिचय दिया व उसका नाम व पता पूछने पर स्वयं को उक्त संस्थान का विक्रेता एवं मालिक होना बताया। वास्ते निरीक्षणार्थ मौके पर वर्ष 2023 का खाद्य रजिस्ट्रेशन दिखया।

मैसर्स पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, व विक्रेता श्री महेश गोपालका की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया, जहां दूकान में रखी 10 पैक्ड मोनो कार्टन प्रत्येक 500 मिली. घी(सरस) पैक्ड 500 मिली. मोनो कार्टन आम जनता को विक्रय वास्तें रखे हुये थे। उपलब्ध स्टॉक में मिलावट का शक होने पर वास्ते जांच नमूना लेने के लिए कहा व फार्म नम्बर 5ए की प्रति तैयार कर नमूना लेने कि सूचना दी तथा प्राप्ति रसीद ली। वास्ते नमुना जांच हेतु 4 पैक्ड मोनो कार्टन घी(सरस) पैक्ड 500 मिली. मोनो कार्टन का नूमना संग्रह हेतू क्रय किया जिसकी कीमत विक्रेता श्री महेश गोपालका को 1120रु नगद देकर रसीद प्राप्त कि जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है। तथा उपस्थिति गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं ने हस्ताक्षर किये। उक्त नमूना **मिथ्याछाप** पाया गया।

प्रार्थी व अप्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली व पत्रावली के संलग्न [illegible]स्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी नम्बर एफ–3291 खाद्य पदार्थ [illegible](सरस) पैक्ड 500 मिली. मोनो कार्टन का नमूना लिया गया। राज्य केन्द्रीय जन [illegible]स्थ्य प्रयोगशाला जयपुर कि रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकरण **मिथ्याछाप** पाया [illegible]। मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ घी(सरस) पैक्ड 500 मिली. मोनो कार्टन का विक्रय [illegible] खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नि[illegible] की धारा 26 की [illegible]ारा 2(11) का उल्लघंन पाया गया। [illegible] के साथ [illegible]ाड़ करने जैसा है साथ ही अप्रार्थी को आर्थिक [illegible] जाना आवश्य[illegible] [illegible] भविष्य में ऐसी गलती करने से बाज आये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 11:06:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

अतः खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 की धारा 52 के तहत अप्रार्थी सं. 3. श्री महिपाल सिंह पुत्र श्री चैन सिंह (नोमिनी निर्माता फर्म) को 25,000 रू के जुर्माने से दण्डित किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जूर्माना राशि हैड 0210–04–800–03–00 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत राज्यकोष में जरीये चालान जमा करावें एवं जमा राशि कि एक प्रति इस न्यायालय में पेश कि जावे। जूर्माना राशि जमा नहीं कराने पर अप्रार्थी के विरूद्ध खाद्य अधिनियम के तहत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। आदेश आज दिनांक 07.07.2023 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

(अनिल कुमार)
अति. जिला कलक्टर,
नीमकाथाना, सीकर

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 11:06:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner